समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने तथा बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। **श्री अवधेश कुमार पे0 श्री योगेन्द्र प्र0 यादव, सा0 बालाटेल, थाना आलमनगर (सम्प्रति पुरैनी थाना)**, जिला मधेपुरा के द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित नहीं किए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 239/श0, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा इनके शस्त्र की अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया था।

लोक सभा आम चुनाव-2014 को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने हेतु आम सूचना जारी की गई थी। अंचल अधिकारी, आलमनगर एवं थानाध्यक्ष, आलमनगर के संयुक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है।

दिनांक 17.01.2014 को समर्पित स्पष्टीकरण आवेदन में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंकित किया गया है कि अनुज्ञप्ति वर्ष 2008 तक नवीकृत है। अनुज्ञप्ति पर शस्त्र धारित नहीं है। निजी कार्यो से बाहर रहने के कारण निर्धारित तिथियों को भौतिक सत्यापन नहीं कराये की बात बताई गई है। इन्होंने स्पष्टीकरण से मुक्त कर अंतिम मौका देते हुए अनुज्ञप्ति को अद्यतन तक नवीकरण करने एवं शस्त्र क्रय कर प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की है। संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनकी अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को बिक्री करने की अनुमति इस कार्यालय के ज्ञापांक 2040/गो0, दिनांक 30.11.2007 द्वारा दी गई थी। आदेश निर्गत की तिथि से दो वर्षो के बाद यथा 12-01-2009 को शस्त्र क्रय करने हेतु अवधि विस्तार एवं वर्ष 2009 से 2011 तक नवीकृत करने का अनुरोध किया गया था, जिस पर इस कार्यालय के पत्रांक 61/गो0, दिनांक 08.01.2010 के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के स्थायी पता एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन की मांग थानाध्यक्ष, आलमनगर से की गई थी, जो अद्यतन समय तक अप्राप्त है। पुनः इन्होंने चार वर्षो के बाद स्पष्टीकरण आवेदन के माध्यम से उपर वर्णित तथ्यों को दुहराया है। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति के प्रति गंभीर नहीं हैं। इन्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि शस्त्र के इच्छुक अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र बिक्री के उपरान्त तत्क्षण शस्त्र क्रय करने हेतु अवधि विस्तार एवं अनुज्ञप्ति नवीकृत कराने हेतु आवेदन समर्पित करते है, जो नहीं किया गया है। फलस्वरूप अब तक शस्त्र विहीन है। दो वर्ष बीत जाने के बाद स्पष्टीकरण में इनके द्वारा अनुरोध किया गया है, जो अनुज्ञप्तिधारी की लापरवाही एवं मनमानेपन को दर्शाता है। यह शस्त्र अधिनियम-1959 की सुसंगत धाराओं के विल्कुल ही विपरीत है। ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्ति को बरकरार रखा जाना नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को बिक्री कर देने के बाद शस्त्र क्रय करने में इनकी अभिरूची नहीं है। इन्हें जान माल का खतरा नहीं हैं।

अतएव अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9ए का उल्लंघन मानते हुए **श्री अवधेश कुमार पे0 श्री योगेन्द्र प्र0 यादव, सा0 बालाटेल, थाना आलमनगर (सम्प्रति पुरैनी थाना)**, जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत **एन.पी.बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-03/94(आलमनगर थाना)** को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है। धारा-21 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 245 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 07.05.2014,

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, आलमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **श्री अवधेश कुमार पे0 श्री योगेन्द्र प्र0 यादव, सा0 बालाटेल, थाना आलमनगर (सम्प्रति पुरैनी थाना)**, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

07/05/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा